बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि १२ जून, १९७० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि १२ जून, १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री राम नारायण मंडल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

प्रबंधक पर कार्रवाई ।

२१९ । श्री कालिका प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(१) पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा व्यापार मंडल में सन् १९६८-६९ के नवम्बर मास तक कितने रुपये का घाटा दिखलाया गया था;

(२) क्या यह बात सही है कि उल्लिखित घाटे के सम्बन्ध में तत्कालीन मैनेजर के विरुद्ध स्थानीय पदाधिकारियों ने उच्च अधिकारियों के पास १९६८-६९ में रिपोर्ट की थी तथा उक्त मैनेजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध १९६८-६९ में किया था;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त मैनेजर के ऊपर सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की ?

श्री जब्बार हुसैन--- १) पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा व्यापार मंडल में सन् १९६८-६९ के नवम्बर मास तक सहायक निबंधक, पूर्णिया के प्रतिवेदन के अनुसार कुल १३,२१७ रुपया ६३ पैसे स्टौक में घाटा दिखलाया गया है लेकिन इसकी संपुष्टि अभी अंकेक्षण द्वारा नहीं हो पायी है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) व्यापार मंडल के लेखा का दिनांक ३० जून, १९६९ तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अधिभार (सरचार्ज) की कार्रवाई की जायगी ।

(३) अंचलाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय में दिनांक ६ जून, १९७० को एक अनुपूरक अभिलेख भेजा है जिसपर वास्तविक स्थिति की जांच कर उचित आदेश दिया जायगा।

(४) जबतक श्री सिंह द्वारा सरकारी रसीद नहीं कटायी जायगी तबतक किसी प्रकार का ऋण मिलने में संभवतः कठिनाई होगी।

(५) प्रश्न खंड (१) के उत्तर से स्पष्ट है कि श्री सिंह ने ६ एकड़ जमीन की रसीद कटाने से इन्कार कर दिया तथा ९ एकड़ जमीन की वन्दोवस्ती का दावा किया है, और मनमाने तौर पर ९ एकड़ जमीन के लिये सलामी की राशि खजाने में जमा कर दिया है। ९ एकड़ जमीन की वन्दोवस्ती का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसपर शीघ्र ही निर्णय हो जायगा।

जमींदारों को मुआवजा।

१०४५। श्री रामजी प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) शाहाबाद जिलान्तर्गत करगहर थाने के सीढ़ी ग्राम थाना नं० ६७ और जनगाहा, ग्राम थाना नं० १६१ के भूतपूर्व जमींदार श्री फिरंगी राय, बुद्धनाथ राम और रामजन्म राय को जमींदारी उन्मूलन के बाद से आजतक एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिली और उनकी वकाश्त जमीन की मालगुजारी बांधकर भूमि कर वसूल किया जाता है;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जमींदारों ने स्थानीय सर्किल ऑफिसर को कई बार आवेदन-पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उन जमींदारों के साथ-साथ वहां के अन्य जमींदारों को भी मुआवजा देने की क्या व्यवस्था हो रही है?

श्री चन्द्र शेखर सिंह—(१) शाहाबाद जिला के करगहर अंचल में ग्राम सीढी, थाना नं० १६७ स्थित है किन्तु ग्राम जनगाहा थाना नं० १६१ में स्थित नहीं है। ग्राम गोगहरा का थाना नं० १६१ है।

फिरंगी राय, सा० सीढी का मुआवजा अभिलेख देखने से पता चलता है कि सीढ़ी ग्राम में ३ एकड़ ३४ डी० और वगही ग्राम में १ एकड़ १० डिसमल पर लगान मौकदमा

नं० २५, सन् १९६०-६१ और मुकदमा नं० १३, सन् १९६०-६१ में निर्धारित किया गया, और अध्यन्तरिम मुआवजा के रूप में १० १५ पैसा मनिआर्डर द्वारा रसीद नं० २८६७, दिनाक १२ मार्च १९५८ को भेजा गया है और फिर ९३.८५ पैसा का विल वे स्वयं १७ नवम्बर १९६२ को आदेश-पत्र पर निशान बना कर लिये हैं। तीसरी बार ३१ मार्च १९६३ तक का मुआवजा ७ ७३ पैसा का बिल स्वयं ११ जून १९६५ को उन्होंने लिया है। उनको शतप्रतिशत मुआवजा देने हेतु भी शुद्ध आय की गणना की जा चुकी है। शुद्ध आय की स्वीकृति प्रभारी उप-समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सासाराम द्वारा दी जा चुकी है। बुद्ध नाथ राम, सा० सीढी के नाम से कोई भी अभिलेख करगहर अंचल कार्यालय में नही है। श्री रामजन्म राय के अध्यन्तरिम की चुकती की राशि से ४२० रु० ३ आना १ पैसा की राशि लगान में मिनहा की गयी है और १९७ रु० २५ पैसे की राशि मनिआर्डर द्वारा उन्हें भेजी गयी है। इनकी हाल तक की अध्यन्तरिम की राशि का विपत्र बनकर तैयार है जो उन्हें शीघ्र भेज दिया जायगा।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(३) भूतपूर्व मध्यवर्त्तियों को अन्तिम क्षतिपूर्त्ति का भुगतान शीघ्र करने की कार्रवाई जारी है।

वेतन का भुगतान।

१०४६। श्री अनुप लाल यादव---क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि---

(१) क्या यह बात सही है कि श्री सत्यदेव झा, ग्राम पो०-वसहा जिला सहरसा की नियुक्ति जमींदारी विभाग के कर्मचारी पद पर प्रतापगंज सर्किल में दिनांक ४ अक्तूबर १९५२ ई० में हुई थी;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री सत्यदेव झा का पांच सौ रुपया जमानत के रूप में गनपतगंज सब-पोस्टआफिस में जमा है जिसका पासबुक नं० ८३०५३ है;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री झा की उम्र पूरी हो जाने के कारण वे सेवा से निवृत्त हो गए;